

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक :- 2012

दिनांक :- 26.09.2025

आदेश

मैं, प्रियंकर सिहाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) व 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 27(क)(5) गृह-2/2025 जयपुर दिनांक 19.06.2025 (यथा ई-हस्ताक्षरित) के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम-46) की धारा-2(यू) का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा जिला जयपुर दक्षिण (आयुक्तालय जयपुर) में **पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी** नवसृजित किये जाने के कारण इस कार्यालय के प्रस्ताव क्रमांक 1992 दिनांक 26.09.2025 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा क्रमांक 4292 दिनांक 26.09.2025 से अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई. /2017 दिनांक 18.03.2017 एवं 01/पी.आई./2022 दिनांक 03.01.2022 की अनुपालना में नवसृजित पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी का क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार प्रदत्त किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम न्यायालय, जिसके पास वर्तमान में क्षेत्राधिकार है।	प्रदत्त किये जाने हेतु क्षेत्राधिकार का विवरण।	नाम न्यायालय जिसे क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	विशेष टिप्पणी
1.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र पत्रकार कॉलोनी के भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित प्रकरण, 60 पुलिस एक्ट, अनैतिक देह व्यापार प्रतिषेध अधिनियम (पीटा एक्ट), महिला अशिष्ट रूपण निवारण अधिनियम, वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट, आई० टी० एक्ट से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	आरक्षी केन्द्र पत्रकार कॉलोनी का जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के सांगानेर मुख्यालय से नजदीक होने, मुहाना थाना क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा हटाकर पत्रकार कॉलोनी थाने में सम्मिलित करने तथा मुहाना थाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार भी वर्तमान में सांगानेर मुख्यालय स्थित न्यायालय में होने के कारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-13 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम को प्रदत्त किया गया है।
2.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र पत्रकार कॉलोनी की सीमा क्षेत्र में उद्भूत धारा 138 एन. आई एक्ट एवं 25 पी.एस. एक्ट से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम-12 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	आरक्षी केन्द्र पत्रकार कॉलोनी का जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के सांगानेर मुख्यालय से नजदीक होने, मुहाना थाना क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र हटाकर पत्रकार कॉलोनी थाने में सम्मिलित करने, मुहाना थाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार वर्तमान में सांगानेर मुख्यालय स्थित न्यायालय में होने एवं एन.आई.एक्ट प्रकरणों के लिये सांगानेर मुख्यालय पर यह विशेष

				न्यायालय होने के कारण न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम-12 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम को प्रदत्त किया गया है।
3.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र पत्रकार कॉलोनी की सीमा में उद्भूत होने वाले राजस्थान आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-17 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	आरक्षी केन्द्र पत्रकार कॉलोनी का जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के सांगानेर मुख्यालय से नजदीक होने, मुहाना थाना क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र हटाकर पत्रकार कॉलोनी थाने में सम्मिलित करने, मुहाना थाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार वर्तमान में सांगानेर मुख्यालय स्थित न्यायालय में होने एवं सांगानेर मुख्यालय स्थित समस्त आरक्षी केन्द्रों में उद्भूत होने वाले राजस्थान आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-17 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम में होने के कारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-17, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम को क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।
4.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र पत्रकार कॉलोनी तथा इस आरक्षी केन्द्र की सीमा में यातायात पुलिस द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार।	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम के सांगानेर मुख्यालय स्थित जिन न्यायालयों में आरक्षी केन्द्रों के फौजदारी प्रकरणों का न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रदत्त है, उन्हीं न्यायालयों को संबंधित आरक्षी केन्द्रों तथा उन आरक्षी केन्द्रों की सीमा में यातायात पुलिस द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार प्रदत्त है। इस न्यायालय में आरक्षी केन्द्र पत्रकार कॉलोनी से संबंधित फौजदारी प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किये जाने के फलस्वरूप आरक्षी केन्द्र पत्रकार कॉलोनी तथा इसकी सीमा में यातायात पुलिस द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटर यान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी का

				क्षेत्राधिकार न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-13 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम को प्रदत्त किया गया है।
5.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र पत्रकार कॉलोनी की सीमा में परिवहन विभाग द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार।	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13, जयपुर महानगर प्रथम।	पूर्व में जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के पुलिस उपायुक्त पूर्व व दक्षिण की सीमा क्षेत्र में परिवहन विभाग जयपुर द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13, जयपुर महानगर प्रथम को प्रदत्त होने से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13, जयपुर महानगर प्रथम को क्षेत्राधिकार प्रदत्त गया है।

नोट :-

- उपरोक्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त ऐसा क्षेत्राधिकार, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो या उपरोक्त आदेश में अंकित नहीं हो, का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम को प्रदत्त रहेगा।
- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2017 दिनांक 18.03.2017 की अनुपालना में कार्य की प्रकृति के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों की संख्या एवं कार्य समानीकरण को दृष्टिगत रखते हुये नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने आदि तथ्यों के आधार पर क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता व कुछ अन्य अधिनियमों से संबंधित क्षेत्राधिकार एक न्यायालय को तथा धारा 138 एन.आई.एक्ट एवं 25 पी.एस.एस. एक्ट से संबंधित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार, एन.आई.एक्ट कैसेज की सुनवायी हेतु पूर्व से सृजित न्यायालय को प्रदत्त किया गया है। इसी प्रकार, आबकारी अधिनियम व मोटर यान अधिनियम के प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार भी अलग-अलग न्यायालयों को प्रदत्त किया गया है। परिपत्र की अनुपालना में क्षेत्राधिकार परिवर्तन की आवश्यकता का विवरण उपरोक्तानुसार कॉलम संख्या 05 में अंकित किया गया है तथा इस कार्यालय आदेश की प्रति माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रेषित कर निवेदन किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2017 दिनांक 18.03.2017 की अनुपालना में इस आदेश की प्रति श्रीमान्जी की टिप्पणी के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को प्रेषित करने की कृपा करें।
- यह आदेश आज दिनांक 26.09.2025 से तुरन्त प्रभाव से प्रभावी किया जाता है।

PRIYANKAR SIHAG

Digitally signed by PRIYANKAR SIHAG
 Date: 2025.09.26 16:43:01 +05'30'

(प्रियंकर सिहाग)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 जयपुर महानगर प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक :- 2013 to 2027

दिनांक :- 26.09.2025

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2017 दिनांक 18.03.2017 की अनुपालना में इस आदेश की प्रति श्रीमान् जी की टिप्पणी के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को प्रेषित किये जाने हेतु व एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय/जयपुर जिला
- श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
- श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय/जयपुर जिला
- श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
- श्रीमान् पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर
- समस्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन0आई0एक्ट केसेज), जयपुर, महानगर प्रथम।
- सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
- उपायुक्त पुलिस पूर्व/दक्षिण/मुख्यालय/यातायात/जयपुर ग्रामीण
- दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलैक्ट्रेट/बस्सी/सांगानेर/चाकसू, जयपुर महानगर प्रथम
- पुलिस उपायुक्त पूर्व व दक्षिण के समस्त आरक्षी केन्द्र।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ प्रेषित है।
- पुलिस कंट्रोल रूम, जयपुर महानगर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किये जाने हेतु।
- नोटिस बोर्ड।
- आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली

**PRIYANKAR
SIHAG**

Digitally signed by PRIYANKAR
SIHAG
Date: 2025.09.26 16:43:21 +05'30'

(प्रियंकर सिहाग)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम